



प्रेस नोट

कस्बा बिन्दकी में मोबाइल की दुकान में चोरी का खुलासा, चोरी के 25 एन्ड्रायड फोन व 1 तमंचा व कारतूस, शातिर चोर गिरफ्तार थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर

दिनांक 29/07/2022

श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन व श्रीमान अ0पु0अ0 के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान में क्षेत्राधिकारी बिन्दकी के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में दिनांक 29/07/2022 को अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में प्र0नि0 बिन्दकी पुलिस व उ0नि0 सुमित नारायण मय हमराही फोर्स के द्वारा शहबाजपुर चौराहे के पास से मुखबिर खास की सूचना पर कस्बा बिन्दकी में दिनांक 29/06/2022 को रात में मोबाइल की दुकान से चोरी किये गये मोबाइल फोन कुल 25 अदद व 1 अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ दिनांक 29/07/2022 को समय करीब 04.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अपने साथियों के साथ मोबाइल फोन की दुकानों में चोरी करके चोरी किये गये मोबाइल फोन को बेचने का व्यापार करते हैं तथा पूछताछ में बताये कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर थाना धाता के पास से भी मोबाइल फोन चोरी किये थे। जिसमें में 4 मोबाइल फोन अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुए हैं। इस सम्बन्ध में थाना बिन्दकी पर क्रमशः मु0अ0सं0 290/22 धारा 457/380/411/413/414 IPC तथा मु0अ0सं0 344/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता

1. मोनू पाल पुत्र देवमुनि पाल निवासी ग्राम मउदीनपुर थाना खखरेरू जनपद फतेहपुर उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1. 25 अदद – एंड्रायड मोबाइल फोन व
2. 1 अदद - देशी तमंचा नाजायज 315 बोर व
3. 1 अदद - जिन्दा कारतूस 315 बोर व
4. 11500/- रुपये नकद

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 199/2018 धारा 380 भादवि, थाना खखरेरु, जनपद फतेहपुर
2. मु0अ0सं0 228/2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना खखरेरु, जनपद फतेहपुर
3. मु0अ0सं0 252/2015 धारा 380 भादवि, थाना खखरेरु, जनपद फतेहपुर
4. मु0अ0सं0 256/2015 धारा 457/380 भादवि, थाना खखरेरु, जनपद फतेहपुर
5. मु0अ0सं0 226/2018 धारा 458/380 भादवि, थाना खखरेरु, जनपद फतेहपुर
6. मु0अ0सं0 271/2021 धारा 8/20 NDPS Act, थाना नवाबाद, जनपद झांसी
7. मु0अ0सं0 113/2022 धारा 457/380 भादवि, थाना धाता, जनपद फतेहपुर
8. मु0अ0सं0 233/2016 धारा 457/380 भादवि, थाना राजापुर, जनपद चित्रकूट
9. मु0अ0सं0 241/2016 धारा 457/380 भादवि, थाना राजापुर, जनपद चित्रकूट
10. मु0अ0सं0 290/2022 धारा 457/380/411/413/414 भादवि, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर
11. मु0अ0सं0 344/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना बिन्दकी

1. उ0नि0 सुमित नारायण
2. उ0नि0 सुरेन्द्र सिंह
3. का0 नीतेश कुमार
4. का0 इन्द्रवीर
5. का0 मुलायम सिंह

